

22/09/2020

महाविद्यालयीन स्तर पर अनुशासन निर्मित करने के साथ, रेगिग तथा इससे संबंधित गतिविधियों को रोकने हेतु सन 2020-2021 के लिए 100% रेगिग कमी का वाकन किया गया जिनके सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है

SN	Name	Mail ID	Contact NO
1	श्री सोनी वृत्ता (संयोजक)	opgupta322@gmail.com	9926170704
2	श्री रेजनी जीवास्तवा	dnanjanagshivastava@gmail.com	9479227004
3	श्री शंकर विद्याद	ashankarvishad7971@gmail.com	7999728832
4	श्री डी.के. खान		7999636245
5	श्री सोमानी वृत्ता	somaniup@gmail.com	9893081192
6	श्री अश्विनी महाजन	ashwinimalajan0123@gmail.com	6262068773
7	श्री प्रसन्न भार वावूर	prathabam15@gmail.com	9425557121
8	श्री मर्सी गार्ज	merciege@gmail.com	9755176751
9	श्री प्राची सिंह	prachibkingsingh@gmail.com	9479174050
10	श्री अलका मिश्रा	alkatuka@rediffmail.com	7247001415

सिविल अभियंता संस्था 887/2009 में

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनों के 8/5/2009 के निर्णय का अनुपालन करते हुए विरल



Date: _____
Page: _____

मन्त्रालय आयोग के निर्देशानुसार उच्चतर शैक्षणिक
संस्थानों में रेगिगा के रखने को रोकने के लिए
महाविद्यालयों में प्रोटी रेगिगा कमेटी के गठन
को प्रवधान है जिसके अनुसार वर्ष 2020-21 के
लिए उपरोक्त कमेटी का गठन किया गया
जिसके तहत

(1) रेगिगा रोकने व निगरानी रखने के लिए
व नियमों का उल्लंघन करने वाले को
कठोर दंड का प्रवधान किया गया

(2) इसके लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा
लेकर जैसे कि रेगिगा रोधी समिति
रेगिगा रोधी इस्ला तथा रेगिगा रोधी
प्रकोष्ठ का स्थापना कि जाए

(3) 50 रजर्नी नगीवारन के सुरक्षा दिशानि
महाविद्यालयों में मतलबपूर्ण स्थानों पर
C.C.T.V. कैमरे लगाए जाए

(4) महाविद्यालय के विद्यार्थियों को रेगिगा
से सुरक्षित रखने हेतु हास्टल, कैंटीन
शौचालयों का भौतिक निरीक्षण किया
जाए।

(5) विश्वविद्यालय मन्त्रालय आयोग के
निर्देशानुसार रेगिगा रोधी लेला लावना
10 उपलब्ध कराने की बात साक्षि
के मादरों वारा कि वारी थी। जिसका
शत निर्णय लिया गया कि रेगिगा रोधी



इसके लिए सदस्यों का NO हो जिसके
द्वारा हाथ भागी समस्त से समिति
को अंतर्गत कर सकें इस तारीख पर
वर्ष 2020-21 के लिए गठित रेगिस्टर से ही
इसके लिए सदस्य विनोद कुमार

- 1) डा० ओपी गुला = संयोजक
- 2) डा० शंकर निषाद
- 3) डा० पके खान
- 4) डा० सोमाली गुला
- 5) डा० अश्विनी महारण
- 6) डा० प्राची सिन्हा

उपरोक्त लोक निम्न सदस्यों को उपर से संपन्न

- 1) डा० ओपी गुला
- 2) डा० शंकर निषाद
- 3) डा० पके खान
- 4) डा० राजनी जीवास्तव
- 5) डा० राजनी जीवास्तव
- 6) डा० प्राची सिन्हा
- 7) डा० सोमाली गुला
- 8) डा० अश्विनी महारण
- 9) डा० एस आर ठाकुर
- 10) डा० अलका मिश्रा



Principal
Govt. V.Y.T.P.G. Aun College
Durg (C.G.)

31/08/2021

महाविद्यालय में रेगिवा तथा उससे संबंधित गतिविधियों को रोकने तथा महाविद्यालय परिसर में द्विबुद्धासनात्मक व्यवस्था बनाए रखने हेतु वर्ष 2021-2022 हेतु गठित एन्टी रेगिवा सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है

डा० पोषी गुप्ता संयोजक

डा० रंजना जीवारना सदस्य

डा० क्षमिनेष सुराणा सदस्य

डा० एक सुधाता सदस्य

डा० सोमाली गुप्ता सदस्य

डा० वैजय सिंह सदस्य

डा० क्षितिनी महाजन सदस्य

डा० मनी जीजा सदस्य

डा० प्राची सिंह सदस्य

डा० डालका मिश्रा सदस्य

भासक्या विश्वनाथ राव लामरकर
महाविद्यालय के एन्टी रेगिवा कमिटी को
दोपह भाग दिनांक 31/08/2021 को
दोपहर 3 बजे प्राचार्य कक्ष में आयोजित
को गुरु

जिसका प्रमुख अजेंडा निम्न है

(1) अवप्रवर्धित बच्चे हानो के लिए
आरिपन्दवानो प्रोग्राम करवाना

(2) एन्टी रेगिवा इस्त को गठन कराना

(3) महाविद्यालय के हानो को रेगिवा
वा उससे संबंधित गतिविधियों को
प्रति जागरूक कराना



Principal
Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durgam Chauraha, Patna

इस बैठक के द्वारा निर्धारित किया गया कि

① महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों हेतु कमेटी के द्वारा ओरिएन्टेशन प्रोग्राम करवाया जाए जिसमें कैरियर, काउन्सलिंग, महाविद्यालय के नियमों के साथ रेगिग व उसके उपपरिणामों की जानकारी प्रदान कि जाए

② महाविद्यालय में रेगिग रोकने हेतु 2021-22 पठनी रेगिग इस्ते का गठन वण हेतु किया गया जिसके सदस्य महाविद्यालय का आकस्मिक समय कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो कि निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा

① क्या महाविद्यालय में रेगिग हो उससे संबंधित गतिविधियाँ पार्व वर

② कितने छात्र इसमें संलग्न रहे

③ समय का समय

इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं पर रिपोर्ट तैयार कर कमेटी को देगा

③ PCC के नियमानुसार समस्त महाविद्यालय में रेगिग एक दंडनीय अपराध माना गया है। पर होशानता वर छात्र गाली कर बैठते हैं उन्हें जागरूक करने हेतु महाविद्यालय में

① पोस्टर लगावाया जाय

② विभिन्न रसोयन के माध्यम



से हाथों तक सदैव अश्रित किया जाय

(4) विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा उन्हें जागरूक किया जा सकता है

(5) हाथ प्रविनिधियों के साथ समय समय पर मध्यम के द्वारा भी इसे रोका जा सकता है

इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा के साथ लोक विमल सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई

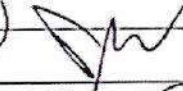
डा० ओपी गुला (सहस्र) 

डा० रंजना जीवास्तव (सहस्र) 

डा० अमिनेष सुराना (सहस्र) 

डा० एके. रवान (सहस्र) 

डा० सोमाली गुला (सहस्र) 

डा० अजय सिंह (सहस्र) 

डा० अश्विनी महाजक (सहस्र) 

डा० मसी जाज (सहस्र) 

डा० प्राची सिंह (सहस्र) 

डा० अर्कटा मिश्रा (सहस्र) 